LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Thursday, 07 June 2018 / 17 Jyeshtha 1940 (*Saka*)

No. 83
02.07 PM **Shri Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

1. 2.08 PM Shri Vijender Gupta and other Members of BJP demanded that their notice for calling attention should be taken up. They stood up and argued with the Chair in spite of the Chair's statement that they had been asked to meet him in his Chamber on the previous day.
*(**2.15 PM** : Members of BJP walked out of the House in protest.)*

2. 2.16 PM **Questions Hour :**
The Chair stated that Starred Question No. 14, 16 and 19 which had been originally listed for 06th June, 2018 would be taken up first as decided on 06th June, 2018
Starred Questions No. 14 (Revenue Department) was asked and replied to. The Members were not satisfied with the reply. The Hon'ble Minister of Revenue stated that in spite of his directions, the officers had not provided him with complete information.
In reply to Starred Question No. 16 (Revenue Department), Hon'ble Minister of Revenue stated that as directed by the Chair, he was forwarding the comments of the Divisional Commissioner although he did not agree with the explanation of the Officer or the reply to the question.
In reply to Starred Question No. 19 (Education Department), Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister informed that reply to only 'Part-A' of Starred Question No. 19 had been received and information regarding remaining parts had not been submitted by the Education Secretary on the grounds that they pertained to 'service matters'. He stated that he did not agree with the explanation or the reply of the Department and would send the same with his comments.

Directions of the Chair regarding extension of sitting of the House:
Taking the sense of the House, Hon'ble Speaker extended the sitting of the Second Part of the Seventh Session of Sixth Delhi Legislative Assembly upto 11th June 2018. He directed that these three starred questions were again being listed for answer on 11th June, 2018 and also directed that complete replies to the questions should be provided by the concerned Secretaries to the Ministers. He also directed that the concerned Secretaries should be present on 11th June, 2018.

Starred Questions No. 21 & 22 were asked and replied to. Replies to Starred Questions No.23 to 40 and Un-Starred Questions No. 38 to 110 (except unstarred Question No. 46, 70, 78, 80 & 89) were placed on the table.

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister made a brief statement regarding refund of excess fees to the parents by Private Schools as had been assured by him while replying to Starred Question No.1 on 06th June 2018.

3. 3.23 PM **Special Mention(Rule-280):**
The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:
   1. Smt. Sarita Singh
   2. Sh. Som Dutt
   3. Sh. Surender Singh
   4. Sh. Vijender Garg
   5. Sh. Prakash
   6. Ms. Bhavna Gaur
   7. Sh. Ajay Dutt

4. 3.41 PM **Discussion on Government Resolution (Rule-90) continued :**
Discussion on the following Government Resolution moved by **Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** on 06th June, 2018 continued :
'Keeping in view the aspirations of the people of Delhi for a better quality of life commensurate with their contribution to the economy;
Also keeping in view the fact that the multiplicity of agencies have created obstacles in the all round development and progress of Delhi as a world class city;

Observing with concern that vested interests with no accountability have manipulated and corrupted the existing system of governance which was guaranteed by the Constitution for the people of Delhi;
Also noting that all the major political parties have supported the idea of full statehood to Delhi in their respective manifestoes;
This House resolves that the National Capital Territory of Delhi should be granted full statehood immediately."
The following Members participated in the discussion.
6. Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Labour
(**3.48 PM** : Members of BJP came back in the House.)

5. 4.01 PM **The Chair adjourned the House for 30 Minutes for tea-break.**

6. 4.37 PM **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in-Chair.

7. 4.37 PM Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition and other Members of Bhartiya Janta Party stood up and stated that Hon'ble Deputy Chief Minister had made incorrect statement in the House regarding *Janlok Pal Bill*. They also sought to know about the action taken by the Chair on the letter submitted by them in this regard.
They came in the well of the House and started exchanging arguments with the Chair in spite of his replying that he was seeking the comments of the Hon'ble Minister in this regard. .
The Members of the BJP continued shouting from the well.

8. 4.46 PM **The Chair adjourned the House upto 5.00 PM due to continuous disturbance in the proceedings.**

9. 4.59 PM **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in-Chair.

10. 5.00 PM *Uproar in the House continued.*
The Chair named Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition and later Shri Manjinder Singh Sirsa for their indecorous behaviour.
As the Members refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort him out.
Shri Jagdish Pradhan walked out in protest.
The Chair informed the House that the letter submitted by the Members of BJP had been referred to Hon'ble Deputy Chief Minister for his comments and expressed his regret on the conduct of the Members.

11. 5.04 PM **Discussion on Government Resolution (Rule-90) continued :**
The following Members participated in the discussion.
7. Shri Somnath Bharti
8. Shri Madan Lal
9. Shri Anil Kumar Bajpai
10. Shri Rituraj Govind
11. Smt. Bandana Kumari

12. 6.09 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Friday, 08 June 2018.**

Delhi **C. Velmurugan**
07th June, 2018 **Secretary**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
वीरवार, 07 जून, 2018 / 17 ज्येष्ठ, 1940 (शक्)

संख्या–83

2.07 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1. 2.08 बजे श्री विजेन्द्र गुप्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्यों ने उनके द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण के नोटिस पर विचार करने की मांग की। अध्यक्ष महोदय के इस वक्तव्य के बावजूद कि उन्होंने कल उनसे अपने कक्ष में मिलने के लिए कहा था, वे अपने आसन पर खड़े हो गये तथा अध्यक्ष महोदय के साथ बहस करने लगे।
*(**2.15 बजे** : भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।)*

2. 2.16 बजे **प्रश्न कालः**
अध्यक्ष महोदय ने कहा कि तारांकित प्रश्न संख्या 14, 16 एवं 19, जो मूलतः दिनांक 06 जून, 2018 को सूचीबद्ध किये गये थे, उन्हें पहले लिया जाये, जैसा कि दिनांक 06 जून, 2018 को निर्णय लिया गया था।
तारांकित प्रश्न संख्या 14 (राजस्व विभाग) पूछा गया और उसका उत्तर दिया गया। सदस्य उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। माननीय राजस्व मंत्री ने बताया कि उनके निर्देश के बावजूद अधिकारियों ने उन्हें पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई।
तारांकित प्रश्न संख्या 16 (राजस्व विभाग) के उत्तर में माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार वे मंडल आयुक्त की टिप्पणी को अग्रेषित कर रहे हैं। यद्यपि वे अधिकारी के स्पष्टीकरण या प्रश्न के उत्तर से सहमत नहीं है।
तारांकित प्रश्न संख्या 19 (शिक्षा विभाग) के उत्तर के संबंध में श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि तारांकित प्रश्न संख्या 19 के केवल 'भाग–क' का उत्तर प्राप्त हुआ है और शेष भागों की सूचना शिक्षा सचिव द्वारा इस आधार पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है कि वे 'सेवा मामलों' से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि वे स्पष्टीकरण या विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं और इसे अपनी टिप्पणी के साथ वापिस भेजेंगे।
सदन की बैठक की अवधि बढ़ाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय का निर्देश :
सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने छठी दिल्ली विधानसभा के सातवें सत्र के दूसरे भाग की बैठक की अवधि दिनांक 11 जून, 2018 तक बढ़ाई। उन्होंने निर्देश दिया कि इन तीनों तारांकित प्रश्नों को उत्तर के लिए दिनांक 11 जून, 2018 को पुनः सूचीबद्ध किया जाये और यह भी निर्देश दिया कि संबंधित सचिवों द्वारा प्रश्नों के पूर्ण उत्तर मंत्रियों को उपलब्ध करवाये जायें। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित सचिव दिनांक 11 जून, 2018 को उपस्थित रहें।
तारांकित प्रश्न संख्या 21 एवं 22 पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 23 से 40 तथा अतारांकित प्रश्न सख्या 38 से 110 (46, 70, 78, 80 एवं 89 को छोड़कर) के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।
श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस वापिस करने के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य दिया, जैसा कि उन्होंने दिनांक 06 जून, 2018 को तारांकित प्रश्न संख्या 01 का उत्तर देते समय आश्वासन दिया था।

3. 3.23 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280) :**
निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये:–

1. श्रीमती सरिता सिंह
2. श्री सोम दत्त
3. श्री सुरेन्द्र सिंह
4. श्री विजेन्द्र गर्ग
5. श्री प्रकाश
6. सुश्री भावना गौड़
7. श्री अजय दत्त

4. 3.41 बजे **सरकारी संकल्प (नियम–90) पर चर्चा जारी :**

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 06 जून, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा हुईः

''बेहतर जीवन–गुणवत्ता के लिए दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं के दृष्टिगत और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के अनुरूप;

इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि निकायों की बहुलता ने विश्व–स्तरीय शहर के रूप में दिल्ली के चहुँमुखी विकास तथा प्रगति में बाधा पहुँचाई है;

यह चिंताजनक रूप से अवलोकन करते हुए कि उत्तरदायित्व–विहीन निहित स्वार्थों ने शासन की उस विद्यमान व्यवस्था को छल–योजित और विकृत किया है, जिसे दिल्ली के लोगों के लिए संविधान द्वारा संरक्षित किया गया था;

यह भी ध्यान देते हुए कि दिल्ली के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के विचार का समर्थन किया है;

यह सदन संकल्प करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को तत्काल पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाये।''

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः

6. श्री गोपाल राय, माननीय श्रम मंत्री

(**3.48 बजे** : भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन में वापिस आये।)

5. 4.01 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश हेतु 30 मिनट के लिए स्थगित की।**

6. 4.37 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

7. 4.37 बजे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य खड़े हो गये और कहने लगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री ने *जन लोकपाल विधेयक* के संबंध में सदन में गलत वक्तव्य दिया है। उन्होंने इस संबंध में उनके द्वारा दिये गये पत्र पर अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में भी जानना चाहा।

वे सदन के वैल में आ गये तथा अध्यक्ष महोदय के इस उत्तर के बावजूद कि वे इस संबंध में माननीय महोदय मंत्री से टिप्पणी प्राप्त करेंगे, उनके साथ तर्क–वितर्क करने लगे।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वैल में आकर नारेबाजी करने लगे।

8. 4.46 बजे **कार्यवाही में लगातार बाधा होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदन अपराह्न 5.00 बजे तक के लिए स्थगित किया।**

9. 4.59 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

10. 5.00 बजे *सदन में शोर–शराबा जारी रहा।*

अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा तत्पश्चात् श्री मनजिंदर सिंह सिरसा को उनके अमर्यादित आचरण के कारण इंगित किया।

चूंकि सदस्यों ने अपने आप बाहर जाने से मना कर दिया, अध्यक्ष महोदय ने मार्शलों से उन्हें बाहर ले जाने को कहा।

श्री जगदीश प्रधान ने विरोधस्वरूप बहिर्गमन किया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये पत्र को माननीय उप मुख्यमंत्री के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने सदस्यों के आचरण के प्रति खेद व्यक्त किया।

11. 5.04 बजे **सरकारी संकल्प (नियम–90) पर चर्चा जारी :**

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :–

7. श्री सोमनाथ भारती
8. श्री मदन लाल
9. श्री अनिल बाजपेयी
10. श्री ऋतुराज गोविंद
11. श्रीमती बंदना कुमारी

12. 6.09 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 08 जून, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली
07 जून, 2018

सी. वेलमुरूगन
सचिव